संख्या 138 **/2017/45/XXVII(10)/2016**

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1–समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2– समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–10 देहरादूनः दिनांक 15 मई, 2017

विषय– सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार द्वारा लिये गये निर्णयों के क्रम में वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2016) की संस्तुतियों को स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 01–01–2016 के पूर्व के राज्य सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन पुनरीक्षण किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 267/45/XXVII(10)/2016 दिनांक 30 दिसम्बर, 2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त शासनादेश के प्रस्तर–10 में प्राविधान किया गया था कि "पुनरीक्षित पेंशन का दिनांक 01 जनवरी, 2017 से नकद भुगतान किया जायेगा एवं दिनांक 01 जनवरी, 2016 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 तक पुनरीक्षित पेंशन के अवशेष की देयता के भुगतान के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 01–01–2016 से पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के दिनांक 01 जनवरी, 2016 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 तक पुनरीक्षित पेंशन के अवशेष देयता (Arrears) की 50 प्रतिशत धनराशि प्रथम किस्त के रूप में भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। शेष भुगतान के सम्बन्ध में पृथक से निर्णय लिया जायेगा।

भवदीय

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या /2017/45/XXVII(10)/2016 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम), उत्तराखण्ड देहरादून।
2– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4– निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5– निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6– निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
7– समस्त मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8– प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।